न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 184/2015 दायरा दिनांक : 24.08..2015

उनवान

1— रामदयाल आत्मज श्री प्रहलाद जी जाति मीणा

2— लेखराज आत्मज श्री प्रहलाद जी जाति मीणा

3— इन्द्रा पुत्री श्री प्रहलाद जी जाति मीणा

4— मंजू पुत्री श्री प्रहलाद जी जाति मीणा

5— सन्जू बाई पुत्री श्री प्रहलाद जी जाति मीणा

6— श्रीमती रामकन्या विधवा पत्नि श्री प्रहलाद जी जाति मीणा

7— रामपाल पुत्र श्री गोपालजी जाति मीणा

8— शिवराम उर्फ कालूजी पुत्र श्री रामस्वरूप जी जाति मीणा

9— झूंझार सिंह आत्मज श्री रामस्वरूप जी जाति मीणा

10— श्रीमती सुगनाबाई विधवा पत्नि श्री रामस्वरूप जी जाति मीणा

11— श्रीमती पुष्पा बाई पुत्री श्री गोपाल जी जाति मीणा

12— सीताबाई पुत्री श्री गोपाल जी जाति मीणा

13— चन्द्रा बाई पुत्री श्री गोपाल जी जाति मीणा

14— बलराम पुत्र श्री जगन्नाथ जी जाति मीणा

15— चमली बाई पुत्री श्री जगन्नाथ जी जाति मीणा

16— बिरधीलाल पुत्र श्री मूलचन्द जी जाति मीणा

17— गोपाल पुत्र श्री मूलचन्द जी जाति मीणा

निवासीगण ग्राम खुरी तहसील अटरू जिला बारां

18— लेखराज आत्मज श्री कन्हैयालाल जी जाति मीणा

19— चन्द्रप्रकाश आत्मज श्री कन्हैयालाल जी जाति मीणा

20— महेन्द्र कुमार आत्मज श्री कन्हैयालाल जी जाति मीणा

21— अनिता पुत्री श्री कन्हैयालाल जी जाति मीणा

22— विमला पुत्री श्री कन्हैयालाल जी जाति मीणा

निवासीगण ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा

.... अपीलांट

बनाम

1— नन्दलाल आत्मज श्री नाथूलाल जी जाति मीणा

2— कान्हा आत्मज श्री नाथूलाल जी जाति मीणा

3— प्रेम बाई पुत्री श्री नाथूलाल जी जाति मीणा

निवासीगण ग्राम खुरी तहसील अटरू जिला बारां

4— दी स्टेट आफ राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 02.01.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या — 06/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नं. 1 नन्दलाल ने अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ एक अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम खुरी तहसील अटरू की आराजी खतौनी संख्या 116 की 9 किता की 11.04 हैक्टर आराजी पक्षकारान के सयुंक्त खाते में दर्ज है। गोपाल की मृत्यु हो चुकी है। उसके उत्तराधिकारी प्रतिवादी नं. 4 लगायत 9 है। शामलाती खाते में आराजी रहने से काश्त करने व लगान अदा करने में विवाद रहता है। अतः दावा वादी स्वीकार कर आराजी का विभाजन किया जाये। वादी का हिस्सा पृथक से दर्ज किया जाये और खसरा नं. 1170 की 1.97 हैक्टर में से 1.40 हैक्टर आराजी प्रतिवादी नं. 13 व 14 को बेदखल कर कब्जा वादी को संभलाया जाये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 05–03–2013 से वादी का दावा आंशिक रूप से स्वीकार कर विभाजन की प्रारंभिक डिक्री जारी की थी, जिसके खिलाफ अपील पेश होने पर इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15–12–2014 से प्रकरण रिमाण्ड किया था। इसके उपरांत अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13–07–2015 से पुनः अपीलाधीन निर्णय जारी कर विभाजन की प्रारंभिक डिक्री जारी की है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि दिनांक 06–04–2015 को 18–05–2015 तारीख दी गई थी, इसके उपरांत दिनांक 13–07–2015 को कैम्प में पत्रावली रखी गई। 13–07–2015 को प्रतिवादी अपीलांट रामपाल एवं झूझार सिंह कैम्प में उपस्थित हुए और प्रकरण के निस्तारण से मना किया, आगामी पेशी 30–09–2015 को दी गई और खाली आदेशिका पर हस्ताक्षर करा लिये। गलत रूप से उसी दिन निर्णय पारित किया गया। आर्डर 22 रूल 5 की पालना नहीं की गई है। वादी का वादग्रस्त आराजी में कोई हक नहीं है, क्योंकि उनके पिता गणेशराम का सुलभी पुत्र नहीं था, वरन् उनकी नातेशुदा पत्नी के

साथ गेलड आया था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में बिना सीपीसी की पालना किये निर्णय पारित किया है। पक्षकारों ने कोई राजीनाम पेश नहीं किया है। अपीलांट को साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया है, जबकि सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार तनकीवार निर्णय पारित किया जाना अनिवार्य होता है। लोक अदालत में न तो समस्त पक्षकार उपस्थित हुए है और न ही कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है। लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है, जिसमें उभयपक्ष में से समस्त पक्षकारों ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो। इसके अभाव में सीपीसी की पालना में गुणावगुण की विवेचना करते हुए तनकीवार निर्णय पारित करना अनिवार्य होता है। इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.2015 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि सीपीसी की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत् रूप से तनकीवार निर्णय पारित करे। पक्षकारों को पाबंद किया जाता हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12–02–2018 को उपस्थित हो।

निर्णय आज दिनांक **02.01.2018** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा